न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 36/2011 **दायर दिनांकः 03.06.2011**

उनवान

1. काल्या आयु 66 वर्ष मोतीनाथ जाति नाथ निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0 मृतक।

1/1 धनराज आयु 44 वर्ष पुत्र कालूलाल

1/2 अनुसूया आयु 71 वर्ष पत्नी कालूनाथ जाति नाथ निवासीगण कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

1/3 प्रेम योगी आयु 46 वर्ष पुत्र कालूनाथ पत्नी उमाशंकर योगी जाति नाथ निवासी मुख्य बस्ती मन्दिर के पास टीली मादोन जिला गुना मध्यप्रदेश।

वादीगण

बनाम

1. गायत्रीबाई आयु 40 वर्ष पत्नी मोहनलाल जाति माली निवासी कवाई।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत बंटवारा
अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :—
वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल
प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री नीरज माहेश्वरी प्रतिवादीया क्रम 1

निर्णय

दिनांक 13/04/2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2063 से 2066 के अनुसार खाता संख्या 79 की ख0नं0 499 रकबा 2.67 है0 भूमि स्थित चली आ रही है जिसमें मुताबिक जमाबन्दी वादी का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज है।

जिसे वाद पत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। वाद पत्र की मद नं01 में वर्णित भूमि वादी एवं उसके भाई घांसीनाथ के संयुक्त कब्जे एवं काश्त में चली आ रही थी। घांसीनाथ की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान छीतरलाल पुत्र एवं बनासी, गुडडी पुत्रिया गुलाबबाई बेवा के खाते दर्ज हो गई थी। घांसीनाथ के वारिसान एवं वादी के विवादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त में चली आ रही थी। घांसीनाथ के वारिसान छीतरलाल, बनासी, गूड्डी एवं गुलाब बाई ने संयुक्त खाते एवं कब्जे में चली आ रही विवादग्रस्त भूमि के अविभाजित हिस्से में से 1/2 हिस्सा प्रति0 कम 1 को बेचान कर दिया जिसका नामान्तरण संख्या 606 एवं 694 प्रति0 कम 1 के पक्ष मे दर्ज हुआ है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि पर वादी ने पत्थरों का कोट कर रखा है। उक्त भूमि वादी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही थी। प्रतिवादी कम 1 अजनबी केता है। प्रतिवादी कम 1 का संयुक्त खाते की अविभाजित विवादग्रस्त आराजी में उसका नाम आ जाने से उसका नाजायज लाभ उठाकर बिना बंटवारा करवाये रोड की तरफ की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रही है। तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी करती है। वादी को बेदखल करने की धमकी देती है तथा वादी के विरूद्ध झूंठा फोजदारी मुकदमा बनाने की धमकी देती है जिससे झगडे का अन्देशा बना रहता है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि संयुक्त खाते की अविभाजित भूमि है प्रतिवादी कम 1 को किसी निश्चित भूभाग पर बिना बंटवारे के कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी कम 1 स्ट्रेन्जर केता है। प्रति0 कम 1 ने दिनांक 30.05.2011 को विवादग्रस्त आराजी पर ट्रेक्टर ले जाकर जबरन हांकने का प्रयास किया तथा वादी के कब्जे में दखलअंदाजी करने का प्रयास किया वादी ने मना किया तो प्रतिवादी कम 1 लडाई झगडा करने पर आमादा हुई। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी कम 1 के अवैध कृत्य को रोका जाना सम्भव नहीं है इसलिये वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित विवादग्रस्त आराजी में बिना बंटवारा करवाये वादी के विवादग्रस्त आराजी में अविभाजित कब्जे काश्त में प्रतिवादी कम 1 दखलअन्दाजी नहीं करे। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित विवादग्रस्त आराजी प्रतिवादी कम 2 पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई के रहन होने से उसे प्रतिवादी कम 2 पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 30.05.2011 को प्रतिवादी कम 1 द्वारा विवादग्रस्त आराजी के अविभाजित हिस्से में ट्रेक्टर से जबरन हांकने का प्रयास करने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम कवाई तहसील अटरू में स्थित होने से इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अवधि मध्य पेश है। वाद अवधि मध्य

एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रति0 इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित विवादग्रस्त भूमि के अविभाजित आराजी के कब्जे काश्त में प्रति0 क्रम 1 व उसके प्रतिनिधि किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करे तथा सहकाश्तकारी की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 2 व 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि स्थित होना स्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में संयुक्त खाते में जमीन होना स्वीकार है। लेकिन उक्त भूमि का मौके पर वर्षों से बंटवारा हो रहा है। वाद पत्र की चरण संख्या 3 मिथ्या अंकित की गई है, भूमि मौके पर विभाजित है और वर्षों से खातेदारान ने अपने पिता के समय से बंटवारा किया हुआ है। वाद पत्र की चरण संख्या 4 बिल्कुल मिथ्या एवं मनगढन्त अंकित की गई है। शेष कथन विशेष आपत्तियों एवं काउंटर क्लेम में दर्ज किए गये है। वाद पत्र की चरण संख्या 5 मिथ्या अंकित किए जाने से अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 6 मिथ्या अंकित की गई है, अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 7 कानूनी है तथा अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 8 मिथ्या अंकित किए जाने से अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 9, 10 व 11 कानूनी है। वाद पत्र के अन्त में वादी द्वारा चाही गई प्रार्थना अस्वीकार है। वादी का वाद कानून खारिज होने योग्य है।

विशेष आपत्तियां एवं प्रतिवाद पत्र

ग्राम कवाई तहसील अटरू में प्रतिवादिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में भूमि ख0नं0 499 रकबा 2.67 है0 की 1/2 हिस्से की भूमी उत्तरी दिशा की तरफ की स्थित चली आ रही है। जिस पर प्रतिवादिया का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आर रही है। जिस पर प्रतिवादिया का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है और प्रतिवादिया की ओर से काश्त की देखरेख एवं व्यवस्था उसके पति मोहनलाल द्वारा की जाती है। विवादग्रस्त आराजी ख0नं0 499 रकबा 2.67 है0 भूमि पूर्व में खातेदार घांसीनाथ व मोतीनाथ दोनों भाईयों के नाम दर्ज खाता थी और इस दोनों भाईयों ने लगभग 40 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से मौके पर बंटवारा उक्त भूमि का कर लिया था और बंटवारा करके उत्तरी

तरफ का हिस्सा घांसीनाथ के पास रहा तथा दक्षिणी तरफ का हिस्सा मोतीनाथ के पास रहा। बंटवारे के पहले उत्तरी दिशा की तरफ तीन खाल थे, भूमि अनुपजाउ थी तथा जगह जगह गड्उे बने हुए थे जिसे घांसीनाथ ने तथा उसके पुत्र छीतरलाल ने भूमि पर समय व धन लगाकर इसको कषि योग्य बनाया। जिसकी जानकारी वादी को भलिभांति है। इसी प्रकार आज तक मौके पर विवादग्रस्त आराजी के हिस्से हो रहे है। घांसीनाथ की मृत्यु के पश्चात उसके स्थान पर छीतरलाल, बनासी व गुड्डी कायम मुकामान का नाम दर्ज हुआ तथा मोतीनाथ के स्थान पर वादी काल्या का नाम खाते में दर्ज हुआ और यह भी वर्षों से उनके पितागण द्वारा किए गए बंटवारा अनुसार मौके पर कब्जा काश्त बनाए हुए है। प्रतिवादीया गायत्री द्वारा दिनांक 09.08.2004 एवं दिनांक 31.08.2005 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खातेदार छीतरलाल, बनासी व गुडडी का हिस्सा 1/2 खरीद किया गया है और इस पंजीकृत दस्तावेज के पूर्व खातेदारान ने प्रतिवादिया गायत्रीबाई को एवं उसके पति मोहनलाल को इकरारनामा क्रमशः दिनांक 24.05.2004 एवं 27.06.2005 को निष्पादित किया था और इस इकरारनामें में खातेदार छीतरलाल ने स्पष्ट रूप से उक्त आराजी के अपने कब्जे के बाबत दिशा अंकित करके विक्रय किया था। प्रतिवादिा के द्वारा खरीदशुदा उक्त आराजी ख0नं0 499 रकबा 2.67 है0 के 1/2 हिस्सा उत्तरी दिशा की तरफ का इसलिए खरीद किया गया कि इस भूमि के पश्चिमी तरफ उनकी परिवार की भूमि ख0नं0 500 पहले से मौजूद थी और यह उत्तरी दिशा का हिस्सा इनकी भूमि से बिल्कुल लगवां है। इसी कारण से यह भूमि खरीद की गई थी और इस भूमि को खरीदने के पश्चात प्रतिवादिया ने अपनी खरीदी हुई भूमि उत्तरी दिशा को अपने परिवार की भूमि ख0नं0 500 में सम्मिलित कर दिया है और दोनों भूमियात के चारों तरफ पत्थर का कोट किया हुआ है। प्रतिवादिया के हिस्से एवं कब्जे की भूमि उत्तरी दिशा की ओर पहले कच्ची गडार बनी हुई थी। जिसको आठ–दस वष्र पूर्व हल्का फूल्का डामर डालके कवाई से मुसई गुजरानका रोड बनाया गया। लेकिन गत वर्ष इस रोड को डामर, गिटटी आदि डालकर चोडा किया गया और इस रोड के चौडा होने के पश्चात ही वादी के मन में बदनियती आ गई और वर्षों पूर्व के बंटवारे मे प्राप्त उत्तरी दिशा की भूमि को इस दावे के माध्यम से वादी प्राप्त करना चाहता है, जिसका उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी ने अपने वाद पत्र की मद नं0 4 में बिल्कुल मित्या एवं मनगढंत तथ्य अंकित किया है कि उसके द्वारा रोड की तरफ वाली भूमि पर पत्थर का कोट प्रतिवादिया ने किया हुआ है और उसने इस भूमि को अपने परिवार की भूमि ख0नं0 500 में मिलाकर पत्थर का कोट किया है तथा विवादग्रस्त आराजी ख0नं0 499 के अपने हिस्से उत्तरी दिशा में ही प्रतिवादिया ने खरीद करने के पश्चात ट्यूबवैल भी खुदवाया है। जो मौजूद है। प्रतिवादिया की अपने हिस्से उत्तरी दिशा में

वर्तमान में फसल सोयाबीन व मूंगफली काश्त की हुई है। वादी इस वाद पत्र के माध्यम से अवैधानिक रूप से वर्षो पूर्व के बंटवारे में प्राप्त उत्तरी दिशा की प्रतिवादिया की खरीदशुदा भूमि पर रोड की तरफ हिस्सा प्राप्त करना चाहता है। जिसका उसको कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है और प्रतिवादिया सम्माननीय न्यायालय के माध्यम से वर्षों पूर्व के किए गए बंटवारे अनुसार उत्तरी दिशा की तरफ के अपने 1/2 हिस्से को अलग से खाता दर्ज कराकर नक्शा ट्रेस में अलग से तरमीम कराने की कानूनन अधिकारिणी हे तथा वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रतिवाद पत्र उचित न्यायशुल्क पर पेश है। जिसका श्रीमान को श्रवणाधिकार एवं क्षैत्रधिकार प्राप्त है। अतः जवाबदावा मय प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादिया को निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि–

(अ) यह कि वाके ग्राम कवाई तहसील अटरू की भूमि ख0नं0 499 रकबा 2.67 है0 में प्रतिवादिया क्रम 1 गायत्रीबाई का हिस्सा 1/2 उत्तरी दिशा का अलग से बंटवारा करके अलग खाते दर्ज किया जावे तथा नक्शा ट्रेस में मिन नंबर डालकर नक्शा ट्रेस उक्तानुसार तरमीम किया जावे।

(ब) यह कि वादी एवं उसके प्रतिनिधिगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि भूमि ख0नं0 499 रकबा 2.67 है0 के हिस्से 1/2 उत्तरी दिशा की तरफ के प्रतिवादिया के हिस्से पर वे किसी भी प्रकार का काश्त मे व्यवधान पैदा नहीं करे और प्रतिवादिया को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

(स) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता, जो भी डिक्री की पालना में आवश्यक हो, वो भी प्रतिवादिया को प्रदान की जावे।

3. वादी द्वारा जवाब उल जवाब पेश कर कथन किया कि काउन्अर क्लेम की मद नं0 1 जिस प्रकार लिखी गई है स्वीकार नहीं है ख0नं0 499 रकबा 2.67 है0 का 1/2 हिस्सा दर्ज होना स्वीकार लेकिन यह स्वीकार नहीं है कि प्रतिवादीया के हिस्से में उक्त आराजी उत्तर दिशा की ओर है और प्रतिवादीया का उत्तर दिशा की ओर आराजी पर कब्जा हो यह भी कथन स्वीकार नहीं है कि उक्त आराजी के उत्तर दिशा की आराजी पर प्रतिवादिया या उसका पति मोहनलाल काश्त करता हो बल्कि उकत आराजी समस्त खातेदारान द्वारा काश्त की जाती है। काउन्टर क्लेम की मद नं0 2 में आराजी ख0नं0 499 रकबा 2.67 है0 पूर्व में घांसीनाथ व मोतीनाथ के संयुक्त खाते में दर्ज होना स्वीकार है लेकिन यह कतई स्वीकार नहीं है कि दोनों भाईयों के मध्य उक्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवारा हो गया हो तथा उत्तरी तरफ का हिस्सा घांसीनाथ के रहा हो बल्कि उक्त

आराजी पूर्व विभाजित है प्रतिवादिया ने विभजन के बाबत भी वास्तविक प्ली नहीं ली है कि बंटवारा कब कहां कैसे किन दस्तावेज में किन व्यक्तियों के समक्ष हुआ था। साथ ही बंटवारा के बाबत विधिक व्यवस्था धारा 53 आर0टी0एक्ट0 में ली हुई है और उसे मुजब कोई बंटवारा पक्षकारान के मध्य नहीं हुआ यह तथ्य भी स्वीकार नहीं है घांसीनाथ ने उक्त आराजी को कृषि योग्य बनाया हो। काउन्टर क्लेम की मद नं0 3 में घांसीनाथ की मृत्यु पर छीतरलाल बनासी व गुड्डी, कायममुकामाम का नाम दर्ज होना तथा मोतीनाथ के स्थान पर वादी काल्या का नाम खाते में दर्ज होना स्वीकार है लेकिन यह कतई स्वीकार नहीं है कि पितागणों के मध्य कोई बंटवारा हुआ और कथित बंटवारा के अनुसार काबिज हो बल्कि बंटवारा हुआ ही नहीं है। काउन्टर क्लेम की मद नं0 4 में प्रतिवादी गायत्री द्वारा छीतरलाल बनासी व गुड्डी का हिस्सा 1/2 खरीद करना स्वीकार है लकिन इससे पूर्व का कोई इकरारनामा यदि उनके मध्य हुआ हो तो उसका कोई कानूनन मूल्य नहीं है साथ ही खातेदारान कोई स्पेसिक पार्अ ऑफ लेण्ड का बेचान कर भी नहीं सकते लिहाजा यदि प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोई इकरारनामा बताया भी जाता है तो वह कानूनी की निगाहों में शून्य है। काउन्टर क्लेम की मद नं0 5 जिस प्रकार से लिखी गई है स्वीकार नहीं है साथ ही असंगत भी है। काउन्टर क्लेम की मद नं0 6 जिस प्रकार से लिखी गई है स्वीकार नहीं हे संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी में हिस्सा होता हे बंटवारा हुआ ही नही लिहाजा उक्त भूमि में उत्तरी दिशा की आराजी को प्रतिवादी प्राप्त करने की ना तो अधिकारी है और ना ही वह प्राप्त कर सकती है। काउन्टर क्लेम की मद नं0 7 जिस प्रकार लिखी गई है स्वीकार नहीं है ना तो स्पेसिक पार्टीसन पर प्रतिवादिया पर प्रतिवादिया का कब्जा है। काउन्टर क्लेम की मद नं0 8 जिस प्रकार लिखी गई है स्वीकार नहीं है प्रतिवादिया का ना तो उत्तरी दिशा की भूमि पर कब्जा है और ना ही उत्तरी दिशा की भूमि प्राप्त कर सकती है बल्कि वादी एवं प्रतिवादिया उक्त आराजी में से अच्छी में से अच्छी व बुरी व बुरी आराजी प्राप्त करने के अधिकारी है और बिना माननीय न्यायालय के विवादित आराजीयात का विभाजन हुये कोई स्पेसिक पार्टीसन प्राप्त करने या नक्शा ट्रेस में तरमीम कराने की अधिकारी नहीं है और ना ही प्रतिवादिया वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। काउन्टर क्लेम की मद नं0 9 स्वीकार नहीं है। प्रार्थना प्रतिवादी स्वीकार नहीं है।

विशेष आपत्तियां

आराजी ख0नं0 499 रकबा 2.67 है0 माल कवाई तहसील अटरू में वाके है उक्त आराजी मुताबिक जमाबंदी संवत 2063–66 वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी में बांट बराबर से दर्ज है। उक्त आराजी का वर्तमान खातेदारान या इससे पूर्व के खातेदारान के मध्य कोई विभाजन नहीं हुआ और ना

ही किसी विभाजन से संबंधित दस्तावेज अभिलेख पर है यदि प्रतिवादी संख्या 1 विभाजन के बाबत कोई तथ्य बताता है तो वह शून्य है। प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी के उत्तरी दिशा की आराजी पर कब्जा करना चाहती थी इस पर वादी ने प्रतिवादिया संख्या 1 को मना किया था और उसके ना मानने पर ही प्रस्तुत दावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रतिवादिया संख्या 1 का उक्त आराजी के उत्तरी दिशा की आराजी पर न तो कब्जा है बल्कि उक्त समस्त आराजी अविभाजित है। प्रतिवादिया संख्या 1 का काउन्टर क्लेम के बाबत कोई वाद कारण उत्पन्न न होने से भी काउन्टर क्लेम टेनेबल नहीं है। प्रतिवादिया संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पार्टीसन से संबंधित है और पार्टीसन के दावों में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार हे जिसे पक्षकार बनाये बिना दावा मेंटेनेबल नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 80 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों की पालना न करने से भी काउन्टर क्लेम चलने योग्य नहीं है। अतः जवाबुल जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादिया संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम मय हर्जा खारिज फरमाया जाकर वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

4. दावा व जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

तनकी नं0 1– आया वादपत्र की मद नं0 1 में वर्णित विवादित आराजी में वादी का हिस्सा 1/2 खाते दर्ज है जिस पर अच्छी में से अच्छी, बुरी में से बुरी खाता विभाजन कराने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी क्रम 1 दखल अंदाजी करने पर आमादा है। अतः वादी खिलाफ प्रतिवादी क्रम 1 स्थायी निषेधाज्ञा जारी करा सकने का अधिकारी है।

(भा.सं0 वादी)

तनकी नं0 2– आया विवादित आराजी का हिस्सा 1/2 उत्तरी दिशा का प्रतिवादिया द्वारा भारी धनश्रम खर्च कर काबिल काश्त बनाया है। जिस पर प्रतिवादिया काबिज है तथा उसी अनुसार अपना हिस्सा 1/2 पृथक से खाता दर्ज करा सकने की अधिकारी है तथा स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ वादी प्राप्त कर सकने की अधिकारी है।

(भा.सं0 प्रतिवादी क्रम 1)

तनकी नं0 3– अन्य अनुतोष

5. साक्ष्यवादी के तहत pw 1 काल्या पुत्र मोतीनाथ जाति नाथ निवासी कवाई तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी ने सशपथ बयान किया कि ग्राम कवाई तहसील अटरू की ख0नं0 499 रकबा 2.67 है0 आराजी मे हिस्सा 1/2 मेरे सहखातेदारी मे दर्ज है और

इसका आज पर्यन्त कभी भी विभाजन नहीं हुआ। यह भूमि अभिवाजित है जिसका में बटवारा करवानाा चाहता हूं। उक्त आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी विभाजन करवाया जाकर पृथक से खाते दर्ज किया जावे। pw 2 धनराज पुत्र कालूराम जाति नाथ निवासी कवाई के सशपथ गवाह बयान लेखबद्ध करते हुए कथन किया कि ग्राम कवाई तहसील अटरू की ख0नं0 499 रकबा 2.67 है0 आराजी मे हिस्सा 1/2 मेरे पिता काल्या पुत्र मोतीनाथ और 1/2 भाग प्रतिवादी गायत्री बाई के खाते दर्ज है। आराजी के हिस्से 1/2 पर मेरे पिता के जीवनकाल में मेरा मेरी माता, मेरी बहन व पिता का संयुक्त कब्जा काश्त था। इस जमीन में से रोड की आधी जमीन मेरे पिता व वर्तमान में में काश्त करता हूं और रोड की आधी जमीन पर गायत्री बाई प्रतिवादिया काश्त करती है। रोड को आधार मानकर बटवारा किया जावें।

6. अभिभााषक प्रतिवादीयां क्रम 1 तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहे। अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 के गंभीर बीमार होने से सूचना अध्यक्ष, बार संघ, अटरू द्वारा दी गई। स्वंय प्रतिवादियां भी तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुई। अतः प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध तारीख पेशी दिनांक 09.06.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

7. अभिभाषक वादीगण की बहस एकतरफा सुनी। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दावा, जवाबदावा मय प्रतिवाद पत्र, जवाब उल जवाब व साक्ष्य का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है–

तनकी नं0 1– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया ग्राम कवाई की विवादित आराजी मृतक वादी काल्या व प्रतिवादीयां क्रम 1 गायत्री बाई की सहखातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिसमें दोनों का हिस्सा 1/2–1/2 दर्ज है। विवादित आराजी मूलतः वादी काल्या एवं उसके चचेरे भाई घांसीनाथ के संयुक्त कब्जे काश्त में चली आ रही थी। घांसीनाथ की मृत्यु के बाद उसके वारिसान– छीतरलाल पुत्र, बनारसी व गुड्डी पुत्रियां व गुलाब बाई बेवा का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज हुआ। घांसीनाथ के उक्त वारीसानों में संयुक्त खाते की उक्त आराजी में से अपने हिस्से का बेचान वर्ष 2004–05 में प्रतिवादी क्रम 1 गायत्रीबाई पत्नी मोहनलाल को कर दिया था। घांसीनाथ के वारिसानों ने संयुक्त खाते की आराजी का खाता विभाजन कराये बिना अपना हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 को बेचान करने से प्रतिवादी क्रम 1 अजनबी क्रेता है और ऐसे अजनबी क्रेता को खाता विभाजन कराये बिना संयुक्त खाते की आराजी के

किसी निश्चित भाग पर कब्जा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अभिभाषक वादी द्वारा पुनः कथन किया गया कि संयुक्त खाते की आराजी में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर समान अधिकार होता है और मृतक वादी काल्या और प्रतिवादियां क्रम 1 गायत्री बाई के मध्य कभी भी विवादित आराजी का बटवारा नहीं हुआ लेकिन प्रतिवादियां क्रम 1 जबरदस्ती विवादित आराजी के रोड के समीप वाले हिस्से पर कब्जा काश्त करने के लिए आमदा है जिसका उसे कोई व अधिकार नहीं है। अतः ग्राम कवाई की विवादित आराजी का हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी अनुसार विभाजन किया जावे।

अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 के गम्भीर बीमारी के कारण न्यायालय मे उपस्थित नहीं होने पर न्यायहित में प्रतिवादी क्रम 1 को अपने पैरवी हेतु नोटिस जारी किया गया लेकिन बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अभिभाषक वादीगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम कवाई की जमाबंदी संवत 2063–66 के खाता संख्या 79 के ख0नं0 499 रकबा 2.67 है0 आराजी मृतक वादी काल्या एवं प्रतिवादीयां क्रम 1 गायत्री बाई के शामलाती खाते दर्ज रिकार्ड है जिसमें मृतक वादी काल्या पुत्र मोतीनाथ का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादीयां क्रम 1 गायत्रीबाई का 1/2 हिस्सा दर्ज है। वादी द्वारा पेश वादपत्र व जवाब उल जवाब के अनुसार विवादित आराजी का कभी कोई बटवारा नहीं हुआ है जबकि प्रतिवादीयां क्रम 1 की ओर से पेश जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र के अनुसार ग्राम कवाई की विवादित आराजी का मूल खातेदार घांसीनाथ व मोतीनाथ के मध्य क्रय से वर्षों पूर्व ही मौखिक रूप से आपसी सहमति के आधार पर पारिवारिक बटवारा हो गया था जिसमें विवादित आराजी खसरा न. 499 का उत्तरी भाग घांसीनाथ के हिस्से आया और दक्षिणी भाग मोतीनाथ के हिस्से आया। मोतीनाथ व घांसीनाथ दोनों इसी मौखिक पारिवारिक बटवारे के अनुसार ही अपने – अपने हिस्से व कब्जे की आराजी पर शांतिपूर्वक कब्जे काश्त चले आ रहे थे। दोनों के मध्य कभी भी कब्जे काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था। मोतीनाथ व घांसीनाथ की मृत्यु के बाद इनके वारिसान भी पूर्ववत क्रमशः दक्षिण भाग व उत्तरी भाग पर कब्जा काश्त करते रहे थे।

प्रतिवादीयां क्रम 1 ने घांसीनाथ के वारिसानों से जर्ये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 09.08.2004 मार्कड – डी1 व 31.08.2005 मार्कड – डी2 से उक्त विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा का क्रय किया था। उक्त दोनो रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के अवलोकन से जाहिर होता है कि विक्रेता ने क्रेता प्रतिवादियां क्रम 1 को मौके पर कब्जा संभला दिया था। विक्रेता द्वारा क्रेता को विवादित

आराजी के किस हिस्से पर कब्जा सौंपा गया – यह विक्रय पत्रों से स्पष्ट नहीं है। प्रतिवादियां क्रम 1 द्वारा पेश रजिस्ट्री के शुद्धिपत्र मार्कड – डी4 दिनांक 27.07.2011 के अनुसार विक्रेता ने दोनो विक्रय पत्रों से क्रेता गायत्री बाई को विवादित आराजी का उत्तरी भाग जो पाडलिया रोड पर स्थित है का बेचान कर कब्जा सौंपा गया था। शुद्धिपत्र के अनुसार विक्रेता वर्षों से इसी उत्तरी भाग पर कब्जा काश्त चला आ रहा था। प्रतिवादियां क्रम 1 द्वारा पेश इकरारनामे की फोटोकॉपी मार्कड –डी3 व डी5 के अवकोलन से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि इकरारकर्ता छीतरलाल पुत्र घांसीनाथ द्वारा विवादित आराजी के उत्तरी हिस्से की भूमि के बेचान का गायत्री बाई के साथ इकरार किया था। वादीगण व प्रतिवादियां क्रम 1 के वादपत्र, जवाबदावा मय प्रतिवादपत्र के अवलोकन से यह प्रतित होता है कि विवादित आराजी खसरा न. 499 रकबा 2.67 है0 के मौके पर दो खेत बना रखे है और दोनो खेतों में मृतक वादी काल्या व उसके वारिसान तथा प्रतिवादियां क्रम 1 द्वारा संयुक्त रूप से काश्त नही कर रहे है। **यहां यह अविवादित है कि प्रतिवादियां द्वारा वर्ष 2004–2005 में विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा क्रय किया था जबकि मृतक काल्या द्वारा खाता विभाजन का यह प्रकरण संख्या 136/2011 वर्ष 2011 न्यायालय में दर्ज हुआ है, अर्थात् वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2011 तक मृतक वादी काल्या व उसके वारिसान को प्रतिवादियां क्रम 1 के मौके के कब्जा काश्त को लेकर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई।** वादी द्वारा अपने वादपत्र के मद क्रम 4 में अंकित किया है कि ''उसने मद क्रम 1 में वर्णित संयुक्त खाते व कब्जे की आराजी यानि खसरा न. 499 पर पत्थरों का कोट कर रखा है। जिसपर अजनबी क्रेता प्रतिवादियां क्रम 1 बिना बटवारा करवाये जबरन रोड की तरफ भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है''। जबकि वादपत्र, जवाबदावा मय प्रतिवाद पत्र एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पृथम दृष्यता जाहिर होता है कि वादी एवं प्रतिवादियां क्रम 1 ने अपने अपने हिस्से पर पत्थर का पृथक –पृथक कोट/चारदीवारी कर रखी है अर्थात् वादी व प्रतिवादियां क्रम 1 संयुक्त रूप से कब्जे काश्त न होकर अलग – अलग हिस्सों पर कब्जे काश्त चले आ रहे हैं। अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस के दौरान भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के शुद्धिपत्र में उल्लेखित उत्तरी दिशा पर कब्जे की स्थिति पर कोई कानूनी व्यवस्था पेश नहीं की हैं। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के उक्त शुद्धिपत्र दिनांक 27.09.2011 को मृतक वादी या वादीगण द्वारा हिस्सा विशेष होने पर भी किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो – ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। वादीगण द्वारा कोई भी ऐसा स्वंतत्र गवाह पेश नहीं किया है जो इस तथ्य को तस्दीक करता हो की वादीगण व प्रतिवादियां क्रम 1 ने पृथक – पृथक कोट न करके वर्षो से संयुक्त कब्जे

काश्त में ही चले आ रहे हैं, जबकि इस अनुतोष को साबित करने की जिम्मेदारी वादी/वादीगण की है। प्रतिवादियां क्रम 1 द्वारा अपने जवाबदावा मय प्रतिवाद पत्र में उल्लेख किया है कि खसरा न. 499 से लगवा पश्चिम दिशा में प्रतिवादियां का ही खेत खसरा न. 500 स्थित है और इसलिए ही प्रतिवादियां ने दोनो खेतों को मिलाकर एक बडा खेत बनाने के लिए विवादित आराजी के रोड से लगवा उत्तरी हिस्से को क्रय किया और फिर कृषि सुधार कार्य कर और अधिक उपजाउ बनाया। इस संबंध में वादी द्वारा पेश खसरा/नजरी नक्शे का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद संख्या 96/2011 के साथ पेश नजरी नक्शा प्रदर्ष–पी3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा न. 499 के पश्चिम में खसरा न. 500 स्थित है, जो प्रतिवादियां के परिवारजन व अन्य के सहखाते दर्ज है। **यह प्रकरण वर्ष 2011 में इस न्यायालय में दर्ज हुआ था। किसी राजस्व प्रकरण में निष्पक्ष एवं प्रभावी निर्णयन के लिए नवीनतम राजस्व रिकार्ड का उपलब्ध होना आवश्यक होता है। प्रकरण में उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्ष–पी2 के अनुसार वादी कालूलाल पुत्र मोतीनाथ दिनांक 08.09.2020 को फोत हो चुके हैं, और इनके स्थान पर प्रकरण में इनके वारिसान यानि वादीगण ए, बी व सी को दिनांक 06.10.2022 को पक्षकार भी बनाया जा चुका है, लेकिन क्या इन वारिसान के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में नामांतरण तस्दीक हो चुका है ? क्या मृतक कालूलाल के वासिान/वादीगण विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार के रूप में दर्ज हो चुके हैं ? यह तथ्य विवादित आराजी के नवीनतम राजस्व रिकार्ड से ही स्पष्ट हो सकता है। यदि हाल वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार के रूप में दर्ज नहीं है, तो इन्हें धारा 53 आर.टी.एक्ट के अधीन दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रकरण में बहस के दौरान वादीगण को विवादित आराजी के नवीनतम राजस्व रिकार्ड/जमाबन्दी पेश करने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन वादीगण द्वारा विवादित आराजी की नवीनतम जमाबन्दी पेश नहीं की। जिससे वादीगण के विवादित आराजी में रिकार्डेड सहखातेदार होना साबित नहीं है। प्रकरण में मौके के कब्जे काश्त की स्थिति के संबंध में कोई मौका मजिस्ट्रेट रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं है।** धारा 53 आर.टी.एक्ट केवल अभिलिखित सहखातेदार कृषकों के मध्य खाते विभाजन के प्रावधान करती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत सहखातेदारी की आराजी के विभाजन के लिए धारा 53(2) का अवलोकन जरूरी है, जो निम्न प्रकार है–

Section 53(2) : A division of holding shall be effected in the following manner- (i) by agriment between the co-tenants in respect of- (a)

Such division of the holding , and (b) the distribution of rent over the several portions in to which the holding is so divided, or

(ii) by the decree or order of competent court passed in a suit by one or more the co-tenants for the purpose of the deviding the holding and distrebuiting the rent hereof over the several portions into which it is divided.

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तनकी नं0 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादिया क्रम 1 पर था। प्रतिवादिया क्रम 1 द्वारा पेश दस्तावेज बेचान इकरानामा मार्कड–डी3 एवं मार्कड–डी5, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मार्कड–डी2, शुद्धिपत्र दिनांक 27.09.2011 मार्कड–डी4 आदि के आधार पर प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि ग्राम कवाई की विवादित आराजी खसरा न. 499 रकबा 2.67 है0 के उत्तरी भाग पर प्रतिवादिया द्वारा विक्रेता से कब्जा प्राप्त किया था, और वर्ष 2004 से वर्ष 2011 तक क्रय अनुसार उत्तरी भाग पर कब्जा काश्त चली आ रही थी। वर्तमान में विवादित आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादिया क्रम 1 की मौखिक बटवारे की अर्थात् मौके पर कब्जे काश्त की क्या स्थिति है – पत्रावली पर मौका मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के अभाव में स्पष्ट नहीं है। मृतक वादी काल्या के वादपत्र, प्रतिवादियां क्रम 1 के जबावदावा मय प्रतिवाद पत्र, जवाब उल जवाब आदि के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि मृतक वादी व प्रतिवादियां क्रम 1 ने अपने – अपने हिस्से पर पत्थर का कोट किया हुआ है, लेकिन विवादित खसरा न. 499 के किस भाग पर किस पक्षकार का कोट है – पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं है। प्रतिवादियां क्रम 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से कोई भी साक्ष्य गवाह भी रिकार्ड पर नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तनकी नं0 2 प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में निर्णित नहीं की जाती है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर विवादित आराजी ग्राम कवाई के ख0नं0 499 रकबा 2.67 है0 के संबंध में वादीगण का वाद एवं प्रतिवादियां क्रम 1 का प्रतिवादपत्र न्यायहित में अस्वीकार किये जाने योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में ग्राम कवाई की विवादित आराजी खसरा न. 499 रकबा 2.67 है0 के संबंध में वादीगण का वाद एवं प्रतिवादिया क्रम 1 का प्रतिवाद पत्र अस्वीकार किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 36/2011 **दायर दिनांकः 03.06.2011**

उनवान

1. काल्या आयु 66 वर्ष मोतीनाथ जाति नाथ निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0 मृतक।
1/1 धनराज आयु 44 वर्ष पुत्र कालूलाल
1/2 अनुसूया आयु 71 वर्ष पत्नी कालूनाथ जाति नाथ निवासीगण कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
1/3 प्रेम योगी आयु 46 वर्ष पुत्र कालूनाथ पत्नी उमाशंकर योगी जाति नाथ निवासी मुख्य बस्ती मन्दिर के पास टीली मादोन जिला गुना मध्यप्रदेश।

वादीगण

बनाम

1. गायत्रीबाई आयु 40 वर्ष पत्नी मोहनलाल जाति माली निवासी कवाई।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

उपस्थितः–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल
प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री नीरज माहेश्वरी प्रतिवादीया क्रम 1

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम कवाई की विवादित आराजी ख0 नं0 499 रकबा 2.67 है0 के संबंध में पेश वादीगण का **वाद** एवं प्रतिवादिया क्रम 1 का प्रतिवाद पत्र **खारिज** किये जाते है।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 13.04.2023 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)